

बीकानेर शहर सम्भागीय एवं जिला मुख्यालय है तथा राजस्थान में औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसाय का एक प्रमुख महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। बीकानेर के भावी विकास हेतु मास्टर प्लान प्रारूप के प्रस्ताव, बीकानेर की वर्तमान परिस्थितियाँ तथा इसकी भावी सम्भावित विकास पद्धति को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गये हैं। नगर नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर किये गये भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण तथा अध्ययनों के आधार पर योजना की नीतियाँ, सिद्धांत, उद्देश्य तथा कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। लक्ष्य वर्ष 2023 तक के लिये मास्टर प्लान में जो सिफारिशों की गई हैं, उनसे भविष्य की विभिन्न नगरीय विकास गतिविधियों के समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है।

वाणिज्यिक गतिविधियों के तीव्र गति से बढ़ने के कारण पिछले दशकों में बीकानेर का तेजी से विकास हुआ है, जिससे शहर के बाहरी क्षेत्रों में अनियमित व अव्यवस्थित रूप से शहर का फैलाव हुआ है। इस कारण शहर का भौतिक स्वरूप बिगड़ रहा है। आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में समन्वय नहीं है। गंदी बस्तियाँ, अव्यवस्थित विकास, मिश्रित भू-उपयोग, जलमल निकास की व्यवस्था न होना, सड़कों का संतुलन टेढ़े-मेढ़े होना एवं अत्यन्त भीड़ इत्यादि ने शहर में रहने व कार्य करने के वातावरण को काफी प्रभावित किया है। ये समस्याएँ कुछ तो नये क्षेत्रों में आयी हैं तथा कुछ मास्टर प्लान बनने से पूर्व की हैं। अतः योजना का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों तथा कार्य स्थलों में उचित समन्वय स्थापित करना, मनोरंजन एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाकर शहर की उक्त समस्याओं को कम करना तथा एक स्वस्थ रिहायशी वातावरण तैयार करना है। इसलिए बीकानेर के इस मास्टर प्लान में भविष्य की भौतिक समस्याओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य हेतु यहाँ के निवासियों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाये। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि भविष्य में विकास सुनियोजित तथा सुव्यवस्थित हो। साथ में शहर के आस-पास सामुदायिक सुविधाओं, सेवाओं, व्यापार एवं वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं रोजगार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकें ताकि बीकानेर का विकास, आवास तथा कार्य करने के हिसाब से एक अच्छे शहर के रूप में हो। मास्टर प्लान में भावी विकास के प्रावधानों को प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है।

### 3.01 योजना की नीतियाँ :-

प्रदेश की राजधानी जयपुर के बाद बीकानेर राजस्थान राज्य का चौथा, महत्वपूर्ण शहर है, जो औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक केन्द्रों का महत्वपूर्ण स्थल रहेगा। यहाँ पर प्रशासनिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं समस्त सामाजिक और सांस्कृतिक, गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित होने की प्रबल सम्भावना है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिये जो प्रोत्साहन व अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए भी इसके विकास में समायोजन किया जायेगा, जिससे बीकानेर के चहुंमुखी विकास की पूर्ण सम्भावना हो सके।

### 3.02 नियोजन के सिद्धांत :-

उपर्युक्त नीतियों के संदर्भ में मास्टर प्लान को कार्य रूप में परिणित करने के लिये नियोजन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जो कि सन् 2023 तक के भू-उपयोग एवं योजना के प्रस्तावों को प्रतिपादित करने में मार्ग-दर्शन करेगा।

1. वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण सही तौर पर पद सोपान के क्रम अनुसार, नगर समुदाय एवं स्थानीय स्तर पर उपर्युक्त स्थान पर होना आवश्यक है जिससे सभी आवासीय क्षेत्रों को संपूर्ण लाभ मिल सके। ऐसा करने से मुख्य बाजारों एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में भीड़भाड़ का संतुलन बना रहेगा।
2. थोक व्यापार की गतिविधियों को स्पष्ट एवं उपर्युक्त स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिये।
3. सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिये भूमि का आरक्षण समुचित मात्रा में किया जाना चाहिये जो कि, मुख्य सड़कों एवं आवासीय क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए होना चाहिये।
4. औद्योगिक विकास के लिये उचित स्थान पर भूमि का आरक्षण एवं विकास का प्रावधान।
5. यातायात से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने के लिये विभिन्न स्तरों पर (पद सोपान के अनुसार) इसका विकास आवश्यक है। भारी वाहनों के प्रवेश को शहर में हतोत्साहित करना होगा। आवश्यकतानुसार ट्रक एवं बस अड्डे का प्रावधान सही स्थानों पर होना चाहिए।
6. सामुदायिक सुविधाओं, जन उपयोगी सेवाओं और सर्विस का विकास समस्त शहरी क्षेत्र में घनत्व की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिये। आमोद-प्रमोद की सुविधाओं को शहर एवं स्थानीय स्तर पर सुव्यवस्थित क्रम में वितरित किया जाना चाहिये।

7. शहरी क्षेत्र के बाहरी हिस्सों में होने वाले अनियोजित विकास को रोकने के लिये प्रस्तावित शहरी क्षेत्र और परिधि नियंत्रण क्षेत्र का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। यहाँ केवल कृषि से सम्बन्धित कार्यों की ही अनुमति दी जानी चाहिये।
8. सुव्यवस्थित मल निस्तारण एवं नालियों की व्यवस्था होनी चाहिये। इससे शहर का वातावरण स्वस्थ एवं सुन्दर बना रहेगा।
9. मिश्रित भू-उपयोग एवं अत्यधिक अनाधिकृत निर्माण के फलस्वरूप शहर के पुराने तथा भीतरी भाग की स्थिति काफी चिन्ताजनक है। नये विकास अव्यवस्थित हैं, इसलिये शहर में भौतिक तथा सामाजिक समन्वय का अभाव है। अतः योजना इस तरह से तैयार की जाये जिससे उपयुक्त स्थान पर ही विभिन्न भू-उपयोगों हेतु भूमि का आवंटन किया जावे। शहर के खराब हिस्सों को सुधारने हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाये तथा इन क्षेत्रों के विकास हेतु समुचित साधन विकसित किये जायें।
10. आवासीय क्षेत्रों में विद्यमान जनसंख्या के घनत्व की विषमताओं को कम कर उनके बढ़ने पर अंकुश लगाना चाहिये तथा इन क्षेत्रों को गैर आवासीय एवं अवांछनीय उपयोगों के निर्माण व प्रभाव से बचाना चाहिये। शहर के बाहरी क्षेत्रों मूलभूत सुविधायों के साथ-साथ अच्छे आवासीय क्षेत्र विकसित किये जाने चाहिये।
11. उक्त सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिये समस्त शहरी क्षेत्र को ऐसे कार्यकारी योजना क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, जो रोजगार, आवास, क्रय, मनोरंजन की सुविधाओं एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भर हो सके।

